



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. The Oriental Insurance Co. Ltd.

(भारत में निर्गमित) (INCORPORATED IN INDIA)

पंजीकृत कार्यालय: ओरिएण्टल हाऊस, ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

Regd. Office : "Oriental House", A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002

क्षेत्रीय कार्यालय: आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर

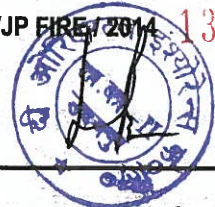
Regional Office : Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur

CIN : U66010DL1947GOI007158

अग्नि अस्थायी कवरनोट
FIRE PROVISIONAL COVERNOTE

Jaipur RO/JP FIRE/2014

134226



TEL: 91-294-2420759

कृत व्यक्ति का नाम KAJRI MINERALS

Insured PRIVATE LIMITED

Address 17, NYAY MARG, COURT

TRCLE, UDAIPUR-313001 (RAJASTHAN)

LOB: 9982619222

ALL ID: CA.ASHIANALY @ GMAIL.COM

जारी करने वाले कार्यालय का नाम

Name of Issuing Office : CBO-2 (24250)

दिनांक / Date 18/05/19

एजेन्सी कोड सं. / Agency Code No. -

कुल बीमित राशि / Total Sum Insured ₹ 10,00,00,000

दर / Rate ASPER TARIFF

की किस्म / शामिल आपदायें तथा वारण्टियां

of Insurance/Perils Covered & Warranties STD. FIRE & ALLIED PERILS POLICY

की अवधि / Period of Insurance : से / From 00:00 AM/PM of 18/05/19 to midnight of 18/05/2021

का विवरण / Description of Risk :- बीमाकृत सम्पत्ति / The Property Insured is situated at CHAR ANGAN

HANTI HILLS, NEAR KALADWAS RILO INDUSTRIAL AREA, UDAIPUR (RAJASTHAN)

building of class GOOD QUALITY construction श्रेणी A II के निर्माण की इमारत में स्थित है।

राशि निम्न प्रकार है / and sum (s) insured are as under :-

(FIRE POLICY TO BE ISSUED ON REINSTATEMENT VALUE

/ S.No. सम्पत्ति का विवरण / Description of Property बीमित राशि / Sum Insured BASIS

1) MULTISTORY BUILDING IN COURSE OF CONSTRUCTION INCLUDING BOUNDARY WALL 10,00,00,000 = 0

PREMIUM RECEIVED VIDE CHQ. No: 070176, DATED 04/05/19 OF PNB, BANK, UDAIPUR

ऊपर अंकित नाम वाले बीमाकृत व्यक्ति द्वारा आज के दिन उपर्युक्त बीमे के लिए प्रस्ताव करने और ऊपर कथित प्रीमियम की पूरी/रकम जमा करने बैंक गारंटी देने पर इसके द्वारा जोखिम का कम्पनी की मानक पॉलिसी की सामान्य शर्तों के अधीन बीमा किया है।

The Insured named above having this day proposed to effect the above Insurance and having made and deposited / furnished a bank guarantee for the premium stated above, the risk is hereby covered, subject to the usual terms and conditions of the Company's Standard policy.

कृते दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
For THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ :

1. यह कवरनोट तब तक वैध नहीं है जब तक कि कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित न हो।
2. स्टाम्पशुदा पॉलिसी के जारी न होने तक कवरनोट जारी किया जाता है। अज्ञानवश पॉलिसी की शर्तों का अनुपालन उनके अनुसार कार्यवाही न कर सकने सम्बन्धी बहाना मान्य नहीं होगा और इस कवरनोट के स्वीकार करने से बीमा व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उसका अनुपालन तथा उनके अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। व को आवेदन करने पर शर्तों की प्रति सप्लाई की जावेगी।
3. यह अस्थायी कवरनोट है। इसके जारी होने के 14 दिनों के अन्दर चैकों द्वारा अदा किये गए, प्रीमियम यदि प्राप्त न हो यह बीमा जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि से अपने आप समाप्त हो जाएगा।

IMPORTANT NOTES :

1. This covernote is not valid unless signed by a duly authorised official of the company.
2. This covernote is issued pending issue of a stamped policy of Insurance. Failure to comply with and act in accordance with the terms and conditions of the policy due to ignorance shall be no excuse and by acceptance of this covernote the insured binds himself by such terms and conditions. A copy of the terms and conditions will be supplied on application to the company.
3. This is a PROVISIONAL COVERNOTE. This insurance shall stand automatically terminated from inception if the premiums paid by cheques are not realised within fourteen days of the issue of this covernote.

छूट का निषेध :

यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के उपबन्ध निम्न प्रकार हैं :

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या सम्पत्ति के जोखिम के सम्बन्ध में बीमा पॉलिसी लेने अथवा नवीनीकरण करवाने अथवा उसे चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रलोभन के तौर पर एजेंट को मिलने वाले कमीशन पर या उसके भाग पर कोई छूट न देगा, न देने का प्रस्ताव करेगा अथवा पॉलिसी पर दिखाये गये प्रीमियम को कोई छूट न देगा, न देने का प्रस्ताव करेगा और न ही पॉलिसी लेने वाला या उसका नवीनीकरण करवाने वाला या चालू रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी छूट स्वीकार करेगा, परन्तु इसमें ऐसी छूट शामिल नहीं है जो बीमाकर्ता प्रकाशित विवरण पत्रों (प्रोस्पेक्टस) या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2. इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

PROHIBITION OF REBATES :

Section 41 of the Insurance, 1938 as amended provides as follows :

1. No person shall allow or offer to allow, either directly, or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to human lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate except such rebate as may be allowed in accordance with the published (prospectuses) of tables of the insurer.
2. Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable, with fine which may extend to five hundred rupees.

किसी प्रकार की कानूनी विवेचना हेतु अंग्रेजी भाषा मान्य होगी।

In case of any legal interpretation English version will hold good.